फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

– **अपीलांट**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 04/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.02.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2021/88–89 दिनांक 28.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 23.11.2020 को व इस अनुभाग को 23.11.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 व 02 तक की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई वह कार्यालय के प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की गई। उसमें से बिन्दु संख्या 01 की सूचना प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 2407 दिनांक 02.12.2020 से उपलब्ध कराईगई जिसे प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 07 दिनांक 06.01.2021 से निःशुल्क भिजवाई गई तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना प्राप्त नही हुई जिसके लिये प्रार्थी को सूचित किया गया। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 02 की प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 856 दिनांक 18.01.2021 से रिपोर्ट में अंकित किया गया कि अभियोजन स्वीकृति न्याय अनुभाग से नही दी गई हैं। प्रकरण में स्पष्ट नही हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टिया मामला पुलिस अधिकारीगण से अभियोजन स्वीकृति संबंधित प्रतीत होता हैं जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। बिन्दु संख्या 02 की सूचना के लिये आवेदन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमन्द को जरिये पत्रांक 53–54 दिनांक 19.01.2021 से प्रेषित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया। अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से चाही गई सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकि हैं तथा आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 02 की सूचना अभियोजना स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा जारी नही की गई है तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमन्द को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया हैं।इस कार्यालय के अभिलेख पर जो सूचना उपलब्ध थी वह प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकि हैं।	

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार बिन्दु संख्या 01 से चाही गई सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकि हैं तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना इस कार्यालय की नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)